महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/ भोपाल, दिनांक /04/2020

प्रति,

1. **समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।**
3. **अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन म.प्र।**

विषयः–नॉन कोविड स्वास्थ्य केन्द्रो पर कोविड – 19 के संदिग्ध/पुष्ट रोगियों के प्रबंधन संबधी निर्देश।

संदर्भः– 1. भारत सरकार के "Guidelines to be followed on detection of Suspect/ Confirmed case in a Non COVID Health facility"
2 संचालनालयीन आदेश क/ आई.डी.एस.पी/2020/468 दिनांक 16/04/2020

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में कोविड – 19 के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समस्त अस्पतालों विशेषकर, कोविड – 19 हेतु चिन्हांकित Containment Zone में स्थित/ निकटस्थ अस्पातालों में आने वाले प्रत्येक रोगी को कोविड – 19 का संदिग्घ मानते हुए मानक उपचार Universal Safety Precaution अपनाते हुए ही दिया जाये। इस हेतु प्रत्येक अस्पताल में Hospital Infection Control Committee (HICC) गठित की जाये जिसका दायित्व होगा कि कार्यरत समस्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं व संस्था मे भर्ती आंतरिक रोगियों में बुखार/खांसी/सांस लेने में कठिनाई संबधी लक्षणों का दैनिक सर्वेलेन्स करें।

नॉन कोविड शासकीय/निजी अस्पतालों के लिये कोविड – 19 संदिग्धों/रोगियो के प्रबंधन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. कोविड – 19 को दृष्टिगत रखने हुए बाह्य रागियों के Triage संबधी निर्देश

- अस्पतालों के प्रवेश द्वारा पर ही सर्दी /खांसी/बुखार के मरीजो की स्क्रीनिंग की जाए एवं रोगियो के प्रवेश व निकास को नियंत्रित किया जाए।
- जिन अस्पतालो में एक ही प्रवेश /निकास द्वार हो, वहाँ परिसर के भीतर आगमन व निर्गमन को बेरिकेडिंग कर पृथ्क किया जाए।
- अस्पताल में तैनात स्टॉफ से रोगियों की दूरी सुनिश्चित करने हेतु एक मीटर के दायरे में बेरिकेडिंग किया जाए तथा अस्पताल परिसर में अनिवार्य रूप से Social Distancing का पालन किया जाए।
- समस्त मेडीकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को व्यक्तिगत सुरक्षा साधन व सेनिटाईजर उपलब्ध कराने का दायित्व अस्पताल प्रबंधन का होगा।
- जिन अस्पतालो में एक से अधिक प्रवेश/निकास द्वारा हो उन सभी को बंद कर आगमन हेतु मात्र एक द्वार ही खुला रखा जाए एवं कोविड – 19 के संदिग्धों (ILI के लक्षण वाले रोगियो) हेतु पृथक आगमन/ निर्गमन सुनिश्चित किया जाए।
- समस्त रोगियों व रोगियों के साथ आये परिजनों (आवश्यकता अनुसार अधिकतम 1 परिजन) को मास्क/रूमाल/गमछा/ दुपट्टा आदि से मुंह ढांकने हेतु निर्देशित किया जाए।
- अस्पताल परिसर, चिकित्सक कक्ष, वार्ड, प्रायवेट कक्ष तथा अन्य समस्त स्थल जहॉ रोगियों का आवागमन होता हो को प्रत्येक 08 घंटे के अतंराल पर 1% सोडियम हाईपोक्लोराइट सल्यूशन से सेनेटाईज किया जाए।

2 कोविड – 19 पॉजीटिव रोगी के भर्ती होने पर

- उपरोक्त स्थिति में अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों/जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड – 19 पॉजीटिव रोगी की तत्काल सूचना दी जाये।
- रोगी को चिन्हंकित कोविड संस्था में ट्रांसफर करने के पूर्व, क्लीनिकल स्थिती अनुसार उचित प्रबंधन एक पृथक कक्ष में आईसोलेट कर सुनिश्चित किया जाये। क्लीनिकल स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रोगी को यथासंभव मास्क पहनाया जाये एवं निगरानी हेतु एक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को ही व्यक्तिगत सुरक्षा साधन से लैस कर तैनात किया जाये।

- यदि रोगी की स्थिति डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर – DCHC/ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल – DCH में ट्रांसफर योग्य हो तो संबधित अस्पताल प्रबंधन को पूर्व सूचना देते हुऐ सम्पूर्ण उपचार विवरण व केस रिकार्ड की प्रति के साथ रोगी का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित की जाये।
- परिवहन के दौरान एम्बुलेंस कर्मी व ड्राइवर द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा साधन का उपयोग किया जाये व परिवहन पश्चात् 1% सोडियम हाईपोक्लोराइट से एम्बुलेंस की विषाणुमुक्ति सुनिश्चित की जाये।
- अस्पताल में रोगी के संपर्क में आए समस्त स्वास्थ्यकर्मी, सर्पोट स्टॉफ, परिजन, अन्य रोगी अथवा आगंतुकों की पहचान कर 14 दिवस हेतु Quarantine करने बावत् नामजद सूची स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।
- ऐसे समस्त संपर्कों (Contacts) को Hydroxychloroquin का प्रोफाईलेक्टिक डोज चिकित्सीय सर्तकता के साथ दिया जाए।

3. <u>कोविड – 19 के संदिग्घ/ पुष्ट स्वास्थ्य कर्मी के चिन्हांकन होने पर</u>

- बुखार,खांसी, सांस लेने में कठिनाई वाले समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड – 19 का संदिग्ध माना जाए। ऐसे कर्मियों को मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिये जाए एवं तत्काल चिन्हांकित कोविड – 19 अस्पताल में आईसोलेशन व प्रबंधन हेतु रेफर किया जाए।
- स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में आए अन्य कर्मियों व रोगियों की नामजद सूची तैयार कर स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाए ताकि Quarantine में रखकर इनकी निगरानी की जा सके।
- समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर वैकल्पिक स्टॉफ व्यवस्था हेतु Contingency Plan तैयार रखा जाए ताकि अस्पताल सेवाओं की निरंतरता बनी रहे।
- अस्पताल में मानक विषाणुमुक्ति की प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। किसी भी अस्पताल में संदिग्ध अथवा पुष्ट कोविड 19 रोगी के पाए जाने पर रोगी के त्वरित आईसोलेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण अस्पताल को बंद करने की आवश्यकता नही है वरन विषाणुमुक्ति,रोगी का आईसोलेशन व कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जाए।
- यदि उपरोक्त प्रक्रियाओं के पालन के बावजूद उक्त संस्था में पुनः नए संदिग्ध पाए जाते हैं तो अस्पताल/अस्पताल के संबधित शाखा को अस्थाई रूप से बंद किया जाए व समुचित सफाई तथा विषाणुमुक्ति (Disinfection) सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :– Flow Chart

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी./2020/ **भोपाल, दिनांक /04/2020**

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. **अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।**
2. **प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।**
3. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।**
4. **आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।**
5. **मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.।**
6. **समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।**
7. **समस्त कलेक्टर, म.प्र।**
8. **समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।**
9. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।**
10. **प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।**

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

Detection of suspect/confirmed COVID-19 case in a non- COVID Health Facility